XkEHkhj vfu;ferrkvk dk lf{kIr lkj

(1)	पैरा 7(2)	परिषद के लेखों में लगभग ₹15/—लाख का संदिग्ध गबन।
(2)	पैरा 7(3)	दिनांक 31.03.10 तक ₹2.34 करोड़ की वसूली गृह कर के रूप में की जानी शेष थी।
(3)	पैरा 7(4)	दिनांक 31.03.10 तक ₹4.83/— लाख की वसूली व्यावसायिक कर के रूप में की जानी शेष थी।
(4)	पैरा 8	रैहन बसेरा भवन के किराये की ₹15.18/— लाख की वसूली न करने बारे।
(5)	पैरा 12	पैंषन का ₹11,220/— का अधिक भुगतान।
(6)	पैरा 13	टैलिफोन बिलों का निर्धारित सीमा से अधिक ₹8161/— का भुगतान।
(7)	पैरा 14	बिजली के सामान ₹11.23/— लाख के उपभोग व खरीद में बाजार मुल्य से ₹25,896/— का अधिक भुगतान।
(8)	पैरा 15	सालिड वेस्ट प्रबन्ध में लाखों रुपये की खरीद में अनियमितताऐं।
(9)	पैरा 18(1)	निर्माण कार्य में ₹1.87/—लाख का दोहरा भुगतान व अन्य अनियमितताऐं।
(10)	पैरा 18(3)	निर्माण कार्य में ठेकेदार को ज्यादा R.C.C. चैनल जारी कर परिषद को ₹10,575/— की हानि।

Ukxj ifj"kn e.Mh ftyk e.Mh fgekpy izns'k ds y[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 04@2007 ls 03@2010

Hkkx ,d

1 xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :–

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 3@93 rd %& अवधि 3/93 तक का गत अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्तमान अंकेक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे ढूंढकर अपेक्षित कार्यवाही कर इसे अगले अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ vads{k.k izfrosnu vof/k 4@93 ls 3@94 rd %&

1	पैरा 3(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत
5	पैरा 7(क)(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
8	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(ङ)	अनिर्णीत
10	पैरा 11(च)	आंशिक अनिर्णीत
11	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
12	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 12(ग)(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 12(ग)(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 12(ङ)	अनिर्णीत
16	पैरा 12(च)	अनिर्णीत
17	पैरा 12(छ)(1)	अनिर्णीत

18	पैरा 12(छ)(2)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(ज)	अनिर्णीत
20	पैरा 12(झ)	अनिर्णीत
21	पैरा 13(क)	आंशिक अनिर्णीत
22	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत
23	पैरा 14(क)	अनिर्णीत
24	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
25	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
26	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत
27	पैरा 16	आंशिक अनिर्णीत
28	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
29	पैरा 19(4)	अनिर्णीत
30	पैरा 19(5)	अनिर्णीत
31	पैरा 19(6)	अनिर्णीत
32	पैरा 19(7)	अनिर्णीत

¼x½ vkdf{k.k izfrosnu vof/k 4@94 ls 3@96 rd ¼&

1	पैरा 5(क,ख,ग,ङ)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
8	पैरा 9(ख)(ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 10	आंशिक अनिर्णीत
10	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 13	आंशिक अनिर्णीत
12	पैरा 14(ख)(1)(2)(3)	आंशिक अनिर्णीत
13	पैरा 14(ग)	आंशिक अनिर्णीत

14	पैरा 15(1)(2)(5)(6)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(7)	अनिर्णीत
16	पैरा 15(8)	अनिर्णीत
17	पैरा 15(9)(10)	अनिर्णीत
18	पैरा 15(1) से (5)	अनिर्णीत
19	पैरा 15(12)(1)(2)(3)	अनिर्णीत
20	पैरा 15(13)	अनिर्णीत
21	पैरा 15(17)(18)(19)	अनिर्णीत
22	पैरा 16(4)(5)	अनिर्णीत
23	पैरा 18(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
24	पैरा 19(1)(2)(3)	अनिर्णीत
25	पैरा 19(2)(3)(4)(5)	अनिर्णीत
26	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत
27	पैरा 21(क)(ख)	अनिर्णीत
28	पैरा 22(1)(2)	अनिर्णीत
29	पैरा 22(6)(7)	अनिर्णीत
30	पैरा 23	अनिर्णीत

¼?k½ vdk{k.k ifronu vof/k 4@96 ls 3@2001 rd ¼&

1	पैरा 5(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(ख)(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 16(2)(3)(4)(5)	अनिर्णीत
7	पैरा 17(1 से 5) (8 से 11) (14,15,17,20,21,22,24,25,27)	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत
9	पैरा 20(1)(2)(5)(6)(7)(8)	अनिर्णीत
10	पैरा 22	अनिर्णीत

11	पैरा 25	अनिर्णीत	

¼.k½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@2001 ls 3@2002 rd ¼&

1	पैरा 5(1)(क)(ख)(ग))2)	अनिर्णीत	
2	पैरा (7)(8)(9)	अनिर्णीत	
3	पैरा 12(1)	अनिर्णीत	
4	पैरा 12(3)	अनिर्णीत	
5	पैरा 14	निर्णीत	(₹6970/– दिनांक 13.12.10 व ₹1929/– दिनांक 04.11.08 को जमा कर लिए गए।)

¼p½ vkd{k.k ifrosnu vof/k 4@02 ls 3@07 rd ¼&

1	पैरा 1	निर्णीत	
2	पैरा 3	निर्णीत	(नवीनतम प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 4(ए)	निर्णीत	(नवीनतम प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(सी)	निर्णीत	(नवीनतम प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 4(सी)(1)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4(सी)(2)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4(सी)(3)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4(सी)(4)	निर्णीत	(नवीनतम प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
10	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत	
11	पैरा 5(ए)	निर्णीत	(नवीनतम प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
12	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत	
13	पैरा 5(बी)(1)	निर्णीत	(वसूली पूरी हो गई है)
14	पैरा 5(बी)(2)	निर्णीत	(₹1587/–की वसूली कर ली गई।)
15	पैरा 5(बी)(3)	निर्णीत	(प्रधान द्वारा अनुमोदित)
16	पैरा 5(बी)(4)	निर्णीत	(प्रषासक के आदेष देख लिए)
17	पैरा 5(सी)	अनिर्णीत	
18	पैरा 5(डी)	अनिर्णीत	

19	पैरा 5(ई)	अनिर्णीत	
20	पैरा 6(i)	निर्णीत	(₹76,648/–की वसूली दिनांक 13.12.10 को कर ली गई)
21	पैरा 6(ii)	निर्णीत	(₹1422/–की वसूली दिनांक 24.09.10 को कर ली गई)
22	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	
23	पैरा 6(2)	अनिर्णीत	
24	पैरा 6(3)	निर्णीत	(नवीनतम प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
25	पैरा 6(4)	अनिर्णीत	
26	पैरा 6(5)	आंशिक समाप्त	(वार्ड मैम्बरों के हस्ताक्षर देख लिए)
27	पैरा 6(6)	अनिर्णीत	
28	पैरा 6(7)	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र देख लिया)
29	पैरा 6(8)	अनिर्णीत	
30	पैरा 7(1)	निर्णीत	(₹2543/–की वसूली दिनांक 08.11.09 को कर ली गई)
31	पैरा 7(2)	अनिर्णीत	
32	पैरा 7(3)	अनिर्णीत	
33	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
34	पैरा 7(5)	निर्णीत	(₹585/–की वसूली दिनांक 03.09.10 को कर ली गई)
35	पैरा 7(8)	अनिर्णीत	
36	पैरा 7(9)	अनिर्णीत	
37	पैरा 7(9)(1)	अनिर्णीत	
38	पैरा 7(10)	अनिर्णीत	
39	पैरा 7(11)	अनिर्णीत	
40	पैरा 7(12)	अनिर्णीत	
41	पैरा 7(13)	अनिर्णीत	
42	पैरा 8(1)	निर्णीत	(औसत खपत बनाई गई)
43	पैरा 8(2)	अनिर्णीत	
44	पैरा 8(3)	अनिर्णीत	

45	पैरा 8(4)	अनिर्णीत

अवधि 3/93 से 03/01 तक के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत ही नहीं किए गए।

Hkkx nk

2 oreku vd{k.k %&

अवधि 4/07 से 3/10 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री चन्द्रेष हाण्डा, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 05.08.10 से 15.01.11 तक तथा श्री विकास धवन (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा दिनांक 21.07.10 से 08.09.10 के दौरान सम्पन्न किया गया। आय के लिए माह 4/07, 5/08, व 3/10 तथा व्यय के लिए माह 3/08, 3/09 व 1/10 के लेखाओं की विस्तार से जाँच पड़ताल की गई।

अंकेक्षण अवधि में प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी के पद पर निम्न पदाधिकारी तैनात रहेः–

i/kku %&

Ø0 l0	vof/k	i/kku dk uke
1	24.01.06 से 10.08.07	श्री हेमन्त राज वैद्य
2	05.10.07 से 08.10.08	श्रीमति सुषीला सौखला
3	08.10.08 से 21.11.08	श्री योगराज (officiating)
4	19.01.09 से 31.03.10	श्री हेमन्त राज वैद्य

dk;dkjh vf/kdkjh %&

Ø0 l0	vof/k	dk;dkjh vf/kdkjh dk uke
1	30.10.07 से 01.10.07	श्री सुषील कुमार मित्तल
2	03.10.07 से 24.12.08	श्रीमति उर्वषी वालिया
3	26.12.06 से 03.10.09	श्री किषोरी लाल ठाकुर
4	26.12.09 से 31.03.10	श्री प्रकाष चन्द

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किए गए हैं। परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के

लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व जाँच हेतू उपरोक्त उल्लेखित मासों तम ही सीमित है।

¼d½ jkdM cgh d vu lkj foÙkh; fLFkfr fuEu i dkj l g %&

o"k	2007&08	2008&09	2009&10
ikjfEHkd 'k"k	79,20,439.12	1,04,25,310.62	1,35,10,650.62
vk;	5,11,63,884.50	4,30,56,242.00	4,67,62,106.00
d y	5,90,84,323.62	5,34,81,552.62	6,02,72,756.62
0;;	4,86,59,013.00	3,99,70,902.00	4,82,18,250.00
vUr'k"k	1,04,25,310.62	1,35,10,650.62	1,20,54,506.62

¼[k½ lkof/kd tek jkf'k;k dk lfEefyr dj foÙkh; fLFkfr fuEu i dkj l g %&

o"k	2007&08	2008&09	2009&10
ikjfEHkd 'k"k			
¼i½ jkdM cgh	79,20,439.12	1,04,25,310.62	1,35,10,650.62
¼ii½ lkof/kd tek	–	1,14,00,000.00	1,10,00,000.00
o"k e vk;	5,11,63,884.50	4,30,56,242.00	4,67,62,106.00
o"k e cukb **FDR**	1,34,00,000.00	–	(+) 80,00,000.00
			(+) 5,00,000.00
FDR ifjiDork	(–) 20,00,000.00	(–) 4,00,000.00	(–) 20,00,000.00
d y	7]04]84]323-62	6]44]81]552-62	7]77]72]756-62
o"k e 0;;	4,86,59,013.00	3,99,70,902.00	4,82,18,250.00
vUr'k"k	2,18,25,310.62	2,45,10,650.62	2,95,54,506.62
¼i½ vUr'k"k jkdM cgh	1,04,25,310.62	1,35,10,650.62	1,20,54,506.62
¼ii½ lkof/kd tek	1,14,00,000.00	1,10,00,000.00	1,75,00,000.00
d y	2]18]25]310-62	2]45]10]650-62	2]95]54]506-62

V tjh o cdk d lkFk feyku %&

Ø0 l0	cSd dk uke ¼e.Mh fLFkr½	[kkrk l[;k	31-03-10 dk vUr'k"k jkf'k ¼₹½
1	ट्रेजरी पी0एल0ए0	—	8,30,539.00
2	एस0बी0आई0	30234705751	12,09,553.00
3	पी0एन0बी0	0104231585	30,72,868.00
4	पी0एन0बी0	0104142254	14,18,229.65
5	पी0एन0बी0	0100932989	3,19,714.00
6	केनरा बैंक	1263	13,347.80
7	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	3170117072	5,40,662.00
8	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	3170106062	29,34,535.00
9	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	3170118313	7,10,015.00
10	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	55079131025	6,46,501.00
11	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	550791300804	3,68,252.67
12	बैंक ऑफ इण्डिया	6102	89,749.50
13	मण्डी अरबन को0 बैंक	5530	2,394.00
14	आई0डी0बी0आई0 बैंक	730104000001281	33,997.00
15	श्री विक्रमजीत स्टोर कीपर के पास स्थाई अग्रिम	—	7,000.00
	dqy	&	1]21]97]658-62
	lkof/kd tek jkf'k	&	1]75]00]000-00
			2]96]97]658-62

fnukad 31-03-2010 dk vUr'k"k dk fooj.k fuEu izdkj ls gS%&

31.03.2010 को अन्तषेष	1,20,54,506.62
देर से जमा राषि (1940+1940+1940+1940)	(–) 9,700.00
	1]20]44]806-62
चैक जारी हुए परन्तु कैष नहीं हुए (विवरण परिषिष्ट ''.....'')	(+) 1,52,852.00
बैंक में जमा राषि 31.03.10 तक	1,21,97,658.62
सावधिक जमा राषि	1,75,00,000.00
dqy	₹2]96]97]658-62

lkof/kd tek jkf'k dk fooj.k %&

Ø0 l0	fnukad	lkof/kd tek l[;k	fuosf'kr jkf'k ¼₹½	C;kt nj	vof/k	ifjiDork dh fnukad
1	03.02.10	730105000000019 (आई0डी0बी0आई बैंक मण्डी)	80,00,000	5%	91 दिन	24.04.10
2	09.02.10	3170118313 (हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मण्डी)	9,50,000	5.25%	91 दिन	12.05.10

4 ys[kk ijh{kk 'kqYd %&

नगर परिषद मण्डी के लेखाओं अवधि 4/2007 से 3/2010 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹86,000/– बनता हैं जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

(1) श्री चन्द्रेष हाण्डा, अनुभाग अधिकारी, 110 x 600 = ₹66,000/-

(2) श्री विकास धवन, कनिष्ठ लेखा परीक्षक 40 x 500 = ₹20,000/-

dqy ₹86]000@&

कार्यकारी अधिकारी को अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अधियाचना संख्याः फिन(एल0ए0)(एम)(डी)/23 आर, दिनांक 15.01.11 के द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राषि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 को भेजनें का अनुरोध किया गया।

5 vLFkkbZ vfxze %&

¼d½ अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत विभिन्न अस्थाई अग्रिमों का आहरण किया गया। ज्यादातर अग्रिमों का अग्रिम रजिस्टर में इन्द्राज ही नहीं किया गया था और न ही रजिस्टर में उद्देष्य, समायोजन व समायोजन वाऊचर संख्याः इत्यादि का इन्द्राज किया जाता है। अंकेक्षण अवधि में आहरित कुछ अग्रिमों का विवरण इस प्रकार से है :–

Øe l[;k	okÅpj l[;k@fnukad	ftl vfxze iznku fd;k	jkf'k ¼₹½
1	34 / 08.08.07	श्री विक्रम	4,828.00
2	67 / 23.08.07	श्री विक्रम	4,290.00
3	77 / 21.01.08	श्री विक्रम	30,000.00
4	– / 19.02.08	एंग्लों वाच कम्पनी	7,000.00

5	34 23.06.09	श्री विक्रम	4,400.00
6	30 15.06.09	श्री प्रवीन	5,000.00
7	25 15.07.09	श्री प्रवीन	21,053.00
8	47 14.07.09	श्री महेष	3,000.00
9	68 23.09.09	श्री मदन	500.00
10	27 09.11.09	श्री मदन	500.00
11	38 12.11.09	श्री विक्रम	20,000.00
12	39 05.12.09	श्रीमति कमला	3,000.00
13	84 19.12.09	श्री मदन	500.00
14	57 15.01.10	श्री मदन	500.00
15	82 22.02.10	श्री मदन	500.00
16	27 07.03.08	श्री प्रवीन	15,000.00
17	59 15.02.10	श्री प्रवीन	20,000.00

उपरोक्त अग्रिमों में से कुछ अग्रिमों का समायोजन तो किया गया है लेकिन अग्रिम रजिस्टर मे अग्रिमों व समायोजन लेखों का इन्द्राज नहीं किया गया। अतः समायोजन व्यय प्रमाणक आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत किया जाए।

(ख) अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत सीमेन्ट की सप्लाई हेतू विभिन्न अग्रिमों का भुगतान हिमाचल प्रदेष राज्य सीविल सप्लाई कार्पोरेषन, षिमला को किया गया लेकिन अग्रिमों का न तो अग्रिम रजिस्टर में इन्द्राज किया गया और न ही सीमेन्ट प्राप्ति के बाद समायोजन लेखे तैयार किए गए। जाँच में पता चला कि वाऊचर संख्याः 40, दिनांक 11.09.2009 व वाऊचर संख्याः 31, दिनांक 09.11.2009 द्वारा क्रमषः 1200 बैग सीमेन्ट प्रत्येक (कुल 2400 बैग) हेतू कार्पोरेषन को दो ड्राफ्ट

₹1,93,082/– प्रत्येक अग्रिम प्रदान किए गये इन 2400 बैग सीमेन्ट में से दिनांक 06.10.09 से 07.12.09 तक मात्र 2200 बैग सीमेन्ट ही प्राप्त हुआ। अतः 200 बैग की कम प्राप्ति के अन्तर बारे कार्यकारी अधिकारी को अधियाचना संख्याः 1 आर, दिनांक 13.08.10 द्वारा वस्तुस्थिति जाँचने हेतू अनुरोध किया गया। जिससे कार्पोरेषन से सम्बन्धित अभिलेख का समाधान कर कार्पोरेषन ने सीमेन्ट की कुछ दर बढ़ने के कारण 200 बैग सीमेन्ट की सप्लाई नहीं दी थी और शेष ₹24,737/– उनके खाते में जमा थे। अंकेक्षण के दौरान कुछ अतिरिक्त राषि का भुगतान कर 1 वर्ष बाद नगर परिषद को आपत्ति उठाने के बाद 200 बैग सीमेन्ट की सप्लाई पहुंच चुकी है।

अतः कार्पोरेषन को प्रदान अग्रिमों को अग्रिम रजिस्टर में इन्द्राज करना व समायोजन लेखे तैयार करना सुनिष्चित किया जाए।

6 <u>ljdkjh vuqnku</u> %&

अवधि 31.03.2010 तक अनुदान की जो राषि अनुपयुक्त शेष पड़ी थी, उसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''क'' में दर्षाया गया है। उपरोक्त परिषिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न निर्माण कार्यों हेतू गत कई वर्षों से प्राप्त की गई अनुदान राषियों का उपयोग नगर परिषद द्वारा अवधि 31.03.2010 तक नहीं किया गया है। अतः अनुदान स्वीकृति पत्रों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार अनुपयुक्त शेष राषि को शीघ्र ही सरकार को वापिस किया जाए अन्यथा उनका उपयोग सरकार से पूर्व कार्योत्तर एवं समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिष्चित करें।

7 <u>vk;</u> %&

¼1½ परिषद की विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय का ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ख'' पर दिया गया है।

¼2½ <u>uxj ifj"kn e.Mh] ftyk e.Mh dh yk[kksa dh vkdf{k.k esa ik;s x, lafnX/k xcu yxHkx ₹15@&yk[k</u> :–

नगर परिषद मण्डी के वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/07 से 3/10 मे आय से सम्बन्धित लगभग ₹15/– लाख के संदिग्ध गबन का प्रकरण प्रकाष में आया है। अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि यह गबन वर्ष 2005 से किया जा रहा था। जिसका विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है। नगर पालिका लेखा संहिता 1975 की धारा 19(1) के अनुसार समस्त राषि जो नगर परिषद द्वारा भुगतान अथवा प्राप्त की गई हो, को रोकड़ बही (फार्म जी–2) कार्यकारी अधिकारी अथवा सचिव के पर्यवेक्षण मे सीधे लेखांकित किया जाना आपेक्षित है। उक्त लेखा संहिता की धारा

19(2) के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज प्रत्येक प्रविष्टि को सचिव/कार्यकारी अधिकारी तथा इनकी अनुपस्थिति में सहायक सचिव तथा यदि सहायक सचिव न हो, तो सदस्य द्वारा पड़ताल करके हस्ताक्षर दर्ज किए जाने अपेक्षित थे एवं प्रतिदिन रोकड़ बही को पूर्ण करके बन्द किया जाना था। अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि मे प्रायः रोकड़ बही को हस्ताक्षरित नहीं किया गया जो कि लेखा संहिता के प्रावधानों की अवहेलना थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त संहिता की धारा 32(2) के अनुसार परिषद समय–समय पर प्रस्ताव द्वारा किसी कर्मचारी को प्राप्ति के लिए प्राधिकृत करेगी जो परिषद की ओर से पावती रसीदों पर हस्ताक्षर करेंगे लेकिन इस धारा में किए गए प्रावधान की पूर्णतयः अवहेलना की गई। यदि समय रहते पालिका अधिनियम, लेखा संहिता तथा अन्य नियमों का कड़ाई से पालन किया गया होता तो स्थिति भिन्न होती एवं संदिग्ध गबन की प्रक्रिया को टाला जा सकता था। लेकिन उच्च प्राधिकारियों द्वारा आतंरिक चैक एवं पर्यवेक्षण की सही व्यवस्था न होने के कारण उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों द्वारा गबन की इस प्रक्रिया को अपनाया गया जिसके लिए नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 46(1) के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

नगर परिषद मण्डी की मुख्य आय के स्त्रोत में शंकन गार्डन स्थित 234 पक्की दुकानें व शहर में लगभग 100 पक्की व कच्ची व 50 (खोखे) दुकानें हैं जिनसे लाईसैंस फीस (किराया) वसूली करने हेतू परिषद द्वारा शंकन गार्डन में एक बिस्तार पटल खोला गया जहां से परिषद को लाखों रुपये प्रतिवर्ष आय के रूप में प्राप्त होते हैं। दुकानों से किराये/शुल्क की प्राप्ति के लिए नगर परिषद कर्मचारियों को प्राधिकृत करके जी–8 रसीद पुस्तकें जारी करती है तथा नीचे दिए गए माध्यम से किराये/षुल्क की प्राप्ति की जाती हैः–

1 दुकानदारों से दैनिक प्राप्ति।

2 <u>दुकानदारों से लाईसैंन्स शुल्क चैक द्वारा।</u>

3 <u>दुकानदारों से लाईसैंस शुल्क नकद प्राप्ति।</u>

क्रम संख्याः 1 व 3 द्वारा अपनाई पद्धति से गबन की प्रक्रिया को अपनाया गया।

<u>nfud ikfIr</u> %&

शंकन गार्डन स्थित दुकानदारों से प्रतिदिन के हिसाब से नकद राषियाँ प्राप्त करके सूचियाँ तैयार की गईं सूचियों में योग कच्ची पैंसिल से किए गए। प्रत्येक दुकान की माह मे प्राप्त राषि का योग करके रसीदें माह के बाद इकट्ठी काटी गईं दैनिक प्राप्ति की पड़ताल भी सूचियों से ही सम्भव थी न कि रसीदों के साथ क्योंकि रसीदें इक्ट्ठी राषि की माह के बाद ही काटी गई जो कि सर्वथा

अनियमित था। यह दैनिक प्राप्ति की प्रक्रिया दिनांक 15.05.2008 से 31.07.2010 तक अपनाई गई जिसे माह 8/10 से बन्द कर दिया जाना बताया गया।

¼d½ uxn ikfIr;k ½&

जी–8 द्वारा प्राप्त राषियों को आय प्राप्ति रजिस्टर तथा सहायक रोकड़ बही में दर्ज किया जा रहा था। निम्नलिखित राषियाँ अनेकों दुकानदारों से विभिन्न रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त की गई लेकिन इनकी प्रविष्टि न तो आय प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज की गई तथा न ही यह राषियाँ सहायक रोकड़ बही एवं बैंक में जमा की गई जिससे इन पावतियों का संदिग्ध गबन किया गया प्रतीत होता है।

उल्लेखनीय है कि परिषद द्वारा किराये का मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर पालिका लेख संहिता 1975 के नियम 155 के अनुसार फॉर्म आर–2 पर वर्ष 2007 के पश्चात तैयार नहीं किया गया जिससे ज्ञात हो सके कि किस अमूक दुकानदार से एक निष्चित अवधि तक कितना किराया वसूली योग्य बकाया है जिससे साबित होता है कि सही पर्यवेक्षण का न होना तथा नियमों के अनुसार वांछित अभिलेख तैयार न करना भी वर्तमान संदिग्ध गबन का मुख्य कारण है।

Ø0 l0	th&8 cqd l0	jlhn l0	fnukd@vof/k	ikIr jkf'k ¼₹½	tek jkf'k ¼₹½	de tek jkf'k ¼₹½
1	26	2501 से 2506	15.07.05 से 18.07.05	26,650	24080	2570
2	65	29 से 32	19.10.05	8945	–	8945
3	97	28	10.10.06	5000	–	5000
4	97	44	07.11.06	47500	–	47500
5	97	68 से 84	06.12.06 से 08.01.07	30480	–	30480
6	97	87 से 100	29.01.07 से 07.02.07	10040	–	10040
7	49	4805 से 4824	17.02.07 से 31.03.07	32386	–	32386
8	52	5101 से 5182	05.06.07 से 31.07.07	81565	–	81565
9	54	5331 से 5342	12.09.07 से 17.09.07	15210	–	15210
10	53	5208 से 5219	07.08.07 से 20.09.07	15088	–	15088
11	53	5220 से 5226	20.09.07	17320	–	17320
12	53	5228 से 5233	17.10.07	12728	–	12728
13	53	5270	22.11.07	7920	–	7920

14	53	5288	09.01.08	550	—	550
15	133	13213 व 13214	7/08	17000	—	17000
15(बी)	57	5625	4/08	550	—	550
16	57	5627 से 5633	24.04.08	16598	—	16598
17	57	5635 से 5637	01.05.08 से 03.05.08	23090	—	23090
18	57	5676 व 5677	23.05.08	2300	2023	277
19	133	13221 से 13252	02.07.08 से 21.08.08	82816	—	82816
20	133	13218 से 13275	03.09.08 से 15.10.08	18583	—	18583
21	133	13276 से 13278	16.10.08	46410	—	46410
22	133	13279 से 13280	21.10.08	1650	—	1650
23	216	21531 से 21549	23.06.09 से 06.07.09	41850	—	41850
24	216	21600	23.10.09	5000	—	5000
25	226	22533 से 22569	10.08.09 से 05.09.09	41540	—	41540
26	227	22645 से 22658	07.09.09 से 13.10.09	12205	—	12205
27	136	13566 से 13568	29.08.08	2730	—	2730
28	141	14045 से 14054	05.03.09 से 31.03.09	12686	—	12686
29	141	14079 से 14091	26.05.09 से 06.06.09	21558	—	21558
30	141	14057 से 14076	02.04.09 से 21.05.09	25632	—	25632
31	141	14092 से 14100	10.06.09 से 10.07.09	12530	—	12530
32	217	21601 से 21603	08.07.09	3755	—	3755
33	217	21606 से 21607	08.07.09	3840	—	3840
34	217	21642 से 21643	21.07.09	1150	—	1150
35	217	21645 से 21664	22.07.09 से 05.08.09	13880	—	13880
36	228	22752 से 22783	15.10.09 से 10.11.09	43345	—	43345
37	249	24848 से 24864	13.11.09 से 26.11.09	40225	—	40225
38	57	5616 से 5622	—	16766	—	16766
39	253	25263 से 25273	08.01.10	66920	21920	45000
40	273	27217	25.02.10	600	—	600
41	281	28022	7/10	1800	—	1800
42	274	27328 से 27350	27.03.10 से 08.04.10	46858	—	46858

43	274	27354 से 27355	08.04.10	22585	2785	19800
44	251	25088 से 25093	09.02.10	51510	–	51510
45	275	27420 से 27434	4/10	26983	16183	10800
					; kx	969336@&

Ø0 l0 46 जी–8 पुस्तिका संख्याः 141 की जाँच उपरान्त पाया गया कि इस रसीद बुक में 100 के बजाए 102 रसीदें थी अर्थात रसीद संख्याः 14012 तथा 14013 की दो के स्थान पर चार रसीदे छपी थी तथा इनके विरूद्ध प्राप्त राषियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

Ø0 l0	jlhn l0	ftlls jkf'k ikIr dh	udn ikIr jkf'k ¼₹½	
(i)	14011 / 141	श्री गुरनाम सिंह	18150/–	
(ii)	14012 / 141	श्री विनोद कुमार	500/–	
(iii)	14013 / 141	श्री जगमोहन (हस्तांतरण शुल्क)	109640/–	
(iv)	14012 / 141	श्री भूप सिंह	3300/–	
(v)	14013 / 141	श्री रमेष कुमार	2000/–	
(vi)	14014 / 141	श्री कमल कांन्त	1920	1]27]790@&

उपरोक्त क्रम (i) से (vi) द्वारा कुल ₹135510/– की प्राप्ति हुई जिसके विरूद्ध ₹7720/– ही दिनांक 02.01.09 को जमा करवाकर ₹127790/– का संदिग्ध गवन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किया गया। ; kx 10]97]126@&

Ø0 l0 47 जी–8 पुस्तिका संख्याः 275 दिनांक 05.05.10 से 16.07.10 उपयोग में लाई गई तथा क्रमांक 27449 से 27483 1,59,555/–

द्वारा कुल ₹159555/– नकद प्राप्त किए गए परन्तु यह राषि रोकड़ बही व बैंक खाते में जमा नहीं की गई जिसमें रसीद संख्याः 27457/275 दिनांक 31.05.2010 को श्री जगमोहन दुकान संख्याः 15 द्वारा दिया गया हस्तांतरण शुल्क ₹115000/– नकद थी, सम्मिलित है जिसे प्राप्ति रजिस्टर में जानबूझकर चैक द्वारा प्राप्त किया दर्षाया है।

;kx 12]56]681@&

Ø0 l0 48 खोखे/पक्की दुकानों के प्राप्ति रजिस्टर के अनुसार निम्नलिखित रसीदों द्वारा नकद आय की प्राप्ति दिनांक 16.05.2008 को दर्षाई गई :–

(i) रसीद संख्या 13104 व 13105/32 = 6570/– 45,281/–

(ii) रसीद संख्या 5669 से 5671/57 = 33208/–

(iii) दैनिक एकत्रीकरण = 5503/–

कुल योग = 45281/–

उपरोक्त ₹45,281/– को न तो बैंक मे जमा करवाया गया तथा न ही यह राषि सहायक व मुख्य रोकड़ बही में प्राप्त की दर्षाई गई जिसका संदिग्ध गबन किया गया प्रतीत होता है। ;kx 13]01]962@&

¼[k½ lfp;k }kjk nfud ikfIr ¼&

चर्चा में बताया गया कि दुकानदारों के प्रतिनिधि मण्डल ने तत्कालीन प्रधान नगर परिषद से आग्रह किया था कि किराये की वसूली दैनिक प्राप्ति के रूप में की जाए लेकिन इसका परिषद में कोई प्रस्ताव पारित न करके मौखिक आदेषों के उपरान्त मास 5/08 से दैनिक किराये की वसूली आरम्भ की गईं जिसके लिए दुकानदारों का सूचियों में नाम दर्ज कर प्रतिदिन उनसे किराया वसूल करके मासान्त में कुछेक रसीदें काटी गई तथा अनेकों मामलों में रसीदें काटी ही नहीं गई लेकिन किसी स्तर पर इस प्रक्रिया को चैक करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई जिसके कारण प्राप्त राषि को सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा आंषिक रूप से जमा किया गया अथवा जमा ही न करके संदिग्ध गबन किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

नकद प्राप्तियों से संदिग्ध गबन की राषि :– 13]01]962@&

Ø0	fnukd@vof/k	ikIr fdjk;k	tek jkf'k	de tek

l0		jkf'k ¼₹½	¼₹½	jkf'k ¼₹½	
1	28.08.08 से 30.08.08	12310	4145	8165 ⁄ –	
2	08.09.08 से 12.09.08	21495	5045	16450 ⁄ –	
3	10.10.08	4355	–	4355 ⁄ –	
4	20.07.09 से 13.08.09	78350	70410	7940 ⁄ –	
5	18.11.09 से 11.12.09	71665	23630	48035 ⁄ –	
6	14.12.09 से 07.01.10	79560	73950	5610 ⁄ –	
7	09.02.10 से 22.02.10	31920	–	31920 ⁄ –	
8	24.07.10 से 31.07.10	25720	–	25720 ⁄ –	
			;kx	148195@&	148195@&
					1450157@&

उपरोक्त प्रकरण अग्रिम में ही पत्र संख्या–यू0एल0बी0एच(सी)(15)42 ⁄ 86–खण्ड–6–5041 से 5042, दिनांक 27.10.10 द्वारा प्रधान सचिव (षहरी विकास) हिमाचल प्रदेष सरकार, षिमला–2 तथा निदेषक शहरी विकास विभाग, षिमला–2 के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतू लाया गया था। अतः उक्त संदिग्ध गबन के मामले में आवष्यक जाँच पड़ताल करने के उपरान्त वसूली हेतू त्वरित उचित कार्रवाई की जाए व चूककर्त्ता के विरूद्ध भी नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करके परिषद के आन्तरिक पड़ताल व पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाया जाए ताकि उक्त प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर अंकुष लग सके।

¼3½ xgdj %&

नगर परिषद को गृहकर की ₹2.34 करोड़ की वसूली दिनांक 31.03.2010 को शेष थी जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ग'' मे दर्षाया गया है। इस संलग्न विवरणीका से स्पष्ट होता है कि परिषद द्वारा गृहकर की वसूली करने हेतू कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है जो पुनः एक गम्भीर मामला है।

गृहकर का निर्धारण वर्ष 2003 में हुआ था तथा नियमानुसार 5 वर्ष बाद पुनः 2008 में किया जाना था। इन 5 वर्षों के दौरान सैकड़ों नए मकानों के नकषे पास हुए तथा मकानों के किरायेदारों से किरायों मे काफी बढ़ौतरी हुई है। लेकिन सर्वे कार्य न होने के कारण वर्ष 2003 की मांग अनुसार मात्र ₹56.61 लाख प्रतिवर्ष वर्ष 2008 से की जा रही है। यदि सर्वे कार्य समय से होता तो वर्ष 2008 से गृहकर की मांग ₹56.61 प्रतिवर्ष से लगभग ₹1 ⁄ – करोड़ प्रतिवर्ष होती । इस प्रकार

सर्वे कार्य न किए जाने से लगभग ₹40—45 लाख प्रतिवर्ष वर्ष 2008 से लगातार नगर परिषद को हानि हो रही है।

इसके अतिरिक्त निदेषक, शहरी विकास षिमला के प्रत्रांकः यू0डी0(एच)(सी)(10)—7/98—II, दिनांक 17.11.03 के अनुसार वर्ष 2006—07 से गृहकर वैल्यू का 10% से बढ़ाकर 12½% किया जाना था। लेकिन 2½% की वृद्धि वर्ष 2010 तक नहीं की गई है। अतः सरकारी आदेषों की अवहेलना करने के कारण लाखों रुपये की वित्तीय हानि प्रतिवर्ष परिषद को मांग न करने के कारण उठानी पड़ रही है।

अतः पूरे प्रकरण में सर्वे व मांग समय पर न करने के कारण अब तक परिषद को लगभग ₹1.50 करोड़ की हानि हो चूकी है। जिसकी जिम्मेवारी निर्धारित की जाए। यह मामला निदेषक, शहरी विकास, षिमला के ध्यान में यथोचित कार्यवाही हेतू लाया जाता है।

¼4½ 0;olkf;d dj ½&

परिषद द्वारा इंदिरा मार्किट परिसर के अलावा नगर परिषद क्षेत्र से व्यवसायिक कर से सम्बन्धित ₹483300/—की वसूली योग्य राषि की दिनांक 31.03.10 की प्रमाणित विवरणी उपलब्ध कराई गई है जिस को इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''घ'' में दर्षाया गया है। इस परिषिष्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गत कई वर्षों से व्यवसायिक कर की एक समान दर से मांग की गई थी जो कि नगर परिषद क्षेत्र में बढ़ती व्यापारिक गतिविधियाँ एवं आर्थिक विकास के दृष्टिगत बिल्कुल गलत एवं भ्रामक प्रतीत होती है। अतः कार्यकारी अधिकारी इस प्रकरण का पुनः सर्वे करवाकर वस्तुस्थिति के अनुसार इस अवधि से सम्बन्धित व्यवसायिक कर की पुनः मांग कर तदानुसार शेष बची राषि की यथा शीघ्र वसूली की जाए तथा अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼5½ ekckbZy Vkojksa dk LFkkiuk 'kqYd ½&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः एच0आई0एम/टी0पी/पी0जे0टी/ए0जेड0 आर(बाल) 1x06/95-8760, दिनांक 16.10.2006 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदान करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क इन्सटालेषन फीस की एक मुष्त राषि ₹10000/— प्रति टावर तथा वार्षिक शुल्क ₹5000/— प्रति टावर वसूल करना आपेक्षित होता है। संस्था के अंकेक्षण के दौरान चच्च्रा में बताया गया। कि इस समय नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न मोबाईल प्रदाता कम्पनियों के लगभग 25 टावर लगे हुए हैं मगर जाँच में पाया गया कि कुछेक कम्पनियों से ही हिमाचल प्रदेष सरकार की उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के

अनुसार शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन मोबाईल टावरों से स्थापना शुल्क हेतू न तो कोई मांग एंव एकत्रीकरण रजिस्टर खोला गया है न ही कोई रजिस्टर तैयार किया गया है जिसे जाँच कर समस्त कम्पनियों से बकाये का निर्धारण किया जा सके। अतः वाछित अभिलेख तैयार न करने तथा उपरोकत वर्णित अधिसूचना के अनुसार निर्धारित शुल्क की वसूली न करके सरकारी आदेषो की अवहेलना करने का औचित्य उपरोक्त अधिसूचना के दृष्टिगत किया जाए तथा इस से संस्था को हुई हानि का दायित्व निर्धारण कर के चूककर्त्ता के विरूद्ध नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए।

8 jSgu clsjk Hkou ds fdjk;s dh olyh u djus ckjs %&

गांधी चौक स्थित नगर परिषद के भवन ''रैहन वसेरा'' की द्वितीय धरातल को माह 10/05 से जिला सैषन जज, मण्डी कार्यालय हेतू ₹33000/– प्रतिमाह के किराये पर दिया गया। यह कार्यालय माह 7/09 से खाली कर उसके बाद स्टेट बैंक को किराये पर दिया गया। लेकिन जिला न्यायालय विभाग से माह 10/05 से माह 7/09 तक कुल 46 माह तक ₹33000/– प्रतिमाह की दर से ₹15.18 लाख की राषि वसूल ही नहीं की गई। इस राषि की वसूली हेतू तुरन्त उचित कदम उठाये जाऐं।

9 uxj ifj"kn vkokl dks [kkyh u djus ckjs %&

श्रीमति विष्णु देवी, सफाई कर्मचारी जिसे नगर परिषद द्वारा आवास का आबंटन हुआ था, दिनांक 22.11.07 को चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत हुई। नियमानुसार कर्मचारी सेवानिवृति के दो माह बाद तक सरकारी आवास में रह सकता है लेकिन उक्त सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा 3 वष्र बीत जाने के बाद तक आवास को खाली नहीं किया है। यह आवास खाली करवाने हेतू नगर परिषद द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। अतः बाजारी भाव को ध्यान मे रखते हुए किराये का निर्धारण कर वसूली की जाए तथा आवास को खाली करवाने हेतू उचित कार्यवाही की जाए।

10 fctyh ds fcyksa dk Hkxrku u djus ckjs %&

नगर परिषद के अवधि 01.04.07 से 31.03.10 तक के लेखों की जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड को ₹6.74 करोड़ राषि स्ट्रीट लाईट बिजली बिलों का भुगतान दिनांक 30.09.2010 तक बकाया था जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक था। अतः अनाधिकृत व अनावष्यक रूप से उत्पन्न दायित्व का भुगतान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

11 isa'ku ,oa xzsP;qVh fuf/k %&

निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्याः यू0डी0–ाा(बी)(10)2/2000–16394–16420, दिनांक 20.12.03 द्वारा नगर परिषद के स्वीकृत पदो के अधिकतम वेतनमान का 12% व 5% क्रमषः पैंषन व ग्रेच्यूटी तथा कुल बजट का 1% प्रषासनिक प्रभार के रूप में काटकर पैंषन एवं ग्रेच्यूटी निधि बनाई जानी थी। अधिकतम वेतनमान का मात्र 17% प्रतिमाह लगभग ₹3.40 लाख को खाता संख्या 3892 बैंक ऑफ इण्डीया में हस्तांतरित किया जा रहा है। इस बैंक खाते का लेनदेन मुख्य रोकड़ बही से बाहर रखा गया है न ही अलग रोकड़ बही तैयार की गई है, और न ही वाऊचरों को वाऊचर संख्याः इत्यादि लगाए जा रहे हैं। जबकि इसी खाते से चैक काटकर पैंषन का भुगतान प्रतिमाह लगभग ₹4 लाख किया जा रहा है। इसके साथ–साथ अतिरिक्त इक्टठी राषि भी इसी खाते में हस्तांतरित की जा रही हैं बैंक द्वारा अर्जित ब्याज की भी प्रविष्टि किसी रोकड़ बही में नहीं हो रही।

इस खाते का नियन्त्रण तुरन्त मुख्य रोकड़ बही में किया जाए ताकि सम्बन्धित वाऊचर इत्यादि भी मुख्य वाऊचर नस्ति में लग सकें व ब्याज इत्यादि की प्रविष्टि भी मुख्य रोकड़ बही में आ सके।

12 iU'ku %&

निदेषक, शहरी विकास, षिमला के पत्र संख्याः यू0डी0(एच)बी(10)339/2000, दिनांक 26. 07.2000 द्वारा श्री हेम चन्द, अधीक्षक (सेवा निवृत) को पैंषन कुमिटिड राषि ₹226815/– स्वीकृत हुई व उनकी पैन्षन का निर्धारण इस प्रकार से हुई।

ey iU'ku	iU'ku dfefVM	fjM;wl j i'ku	Qeyh iU'ku
₹4518@&	₹1807@&	₹2711@&	₹2843@&

माह 8/2000 से सेवा निवृत कर्मचारी को ₹2843/– प्रतिमाह मूल पैन्षन के हिसाब से भुगतान किया गया जबकि यह भुगतान ₹2711/– प्रतिमाह के हिसाब से देय था। माह 9/07 में सुधार कर पैंन्षन का भुगतान ₹2711/– (मूल पैन्षन) सही कर दिया लेकिन 8/2000 से माह 8/07 तक कुल 85 माह तक ₹2843 (–) ₹2711/= ₹132/– प्रतिमाह कुल ₹132 x 85 months = ₹11220/- का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली अतिषीघ्र सुनिष्चित की जाए।

13 ₹8161@& d VyhQku fcyk d vf/kd Hkxrku ckj %&

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2 के पत्र संख्याः यू0डी0–एच0ओ–(7)–19/97–ाा–10199–10246, दिनांक 15.09.07 द्वारा जारी किए गए निर्देषों के

अनुसार सभी नगर परिषदों नगर पंचायतों में कार्यरत कार्याकारी अधिकारी व सचिवों को जिन्हें आवासीय टैलीफोन की सुविधा प्रदान की गई हो, अपनी निधि से द्विमाह आवासीय दूरभाष हेतू ₹800/– व मोबाईल फोन ₹400/– के बिलो पर व्यय कर सकते हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹8161/– की राषि निर्धारित की गई राषि से अधिक राषि व्यय की गई थी जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक था। अतः उपरोक्त दर्षाये गए पत्र द्वारा जारी किए गए निर्देषों के अनुसार अधिक व्यय की गई राषि की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से वसूल करके यथाषीघ्र परिषद के खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को यथा समय अवगत करवाया जाए।

(1) श्री किषोरी लाल ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी (आवासीय दूरभाष)

Ø0l0	vof/k	0;; jkf'k ¼₹½	fu/kkZfjr jkf'k ¼₹½	vf/kd 0;; ¼₹½
1	8/08 से 9/08	914	800	114
2	10/08 से 11/08	1077	800	277
3	12/08	3538	400	3138
4	3/09	881	400	481
5	4/09 से 5/09	1773	800	973
6	6/09 से 7/09	1194	800	394
7	8/09 से 9/09	1506	800	706
			dqy	₹6083@&

(2) श्रीमति उर्वर्षी वालिया, कार्याकारी अधिकारी (मोबाईल फोन)

Ø0l0	vof/k	0;; jkf'k ¼₹½	fu/kkZfjr jkf'k ¼₹½	vf/kd 0;; ¼₹½
1	8/07	362	200	162
2	9/07	335	200	135
3	10/07	439	200	239
4	12/07	326	200	126
5	1/08	410	200	210
6	2/08	336	200	136

7	3/08	370	200	170
			dqy	₹1178@&

(3) श्री प्रकाष चन्द शर्मा, कार्याकारी अधिकारी (मोबाईल फोन)

Ø0 l0	vof/k	0;; jkf'k ¼₹½	fu/kkfjr jkf'k ¼₹½	vf/kd 0;; ¼₹½
1	1/10	500	200	300
2	2/10	500	200	300
3	3/10	500	200	300
			dqy	₹900@&

14 ¼1½ LVªhV ykbZV ds j[k j[kko ds fy, ₹11-23 yk[k ds fctyh ds lkeku dh [kjhn ckjs %&

नगर परिषद द्वारा स्ट्रीट लाईट के रख रखाव के लिए खरीदे गए बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01.04.2007 से 31.03.2010 तक लगभग ₹11.23 लाख का बिजली का सामान खरीदा गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है। लेकिन उक्त सामान के उपभोग से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख सही ढ़ग से तैयार नहीं किया गया था जिसके बिना ₹11.23 लाख व्यय की सत्यता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। खरीद कनिष्ट अभियन्ता द्वारा की जाती है सामान प्राप्ति व स्टोर कीपर का कार्य भी सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किया जाता है तथा जारी भी कनिष्ट अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता व कार्यकारी अधिकारी की स्वीकृति के बिना ही फील्ड स्टाफ को बिजली का सामान जारी कर दिया जाता है। तथा जिसके लिए कोई जाँच कार्ड तैयार नहीं किया जाता और न ही कम्प्रलीषन ऑफ वर्क दिखाया जाता है। परिषद के फील्ड स्टाफ द्वारा जो बिजली का सामान विभिन्न वार्ड की स्ट्रीट लाईट की मुरम्मत हेतू विभाग के कर्मचारी द्वारा जारी किया जाता है लेकिन फील्ड स्टाफ से सामान को उपभोग करने का प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता। जिसके बिना यह नहीं कहा जा सकता कि सामान का प्रयोग सही ढंग से कर लिया गया है या नहीं इसके अतिरिक्त प्रयोग सामान की रजिस्टर में प्रविष्टि रोज न कर मासिक ही दर्षाई जा रही है। अतः भविष्य में लेखा परीक्षा का सुझाव है कि खरीदकर्त्ता, अभिलेख कर्त्ता व स्टोर कीपर का कार्य अलग–अलग कर्मचारियों को दिया जाए तथा बिजली कर्मचारी से सामान को उपभोग करने का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त

करके सम्बन्धित वार्ड मैम्बर से यह प्रमाणित करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए कि मुरम्मत का कार्य सही ढ़ग से कर लिया गया है तथा उसके उपरान्त परिषद के सक्षम अधिकारी से रजिस्टर पर जारी किए गए सामान को सत्यापित करवाना सुनिष्चित करें तथा की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करें।

Ø0 l0	okÅpj l[;k	fnukd	0;; jkf'k ¼₹½	ftlls [kjhn dh ¼LVksj dk uke½
1	51	21.06.07	92485	एस0 मल्होत्रा
2	56	22.06.07	86560	एस0 मल्होत्रा
3	47	20.09.07	27290	रविन्द्र
4	24	03.11.07	31395	एस0 मलहोत्रा
5	68	12.11.07	115622	एस0 मलहोत्रा
6	56	29.02.08	46630	चोपड़ा इलैक्ट्रिकल
7	66	29.02.08	46536	चोपड़ा इलैक्ट्रिकल
8	15	04.03.08	34087	रितेश
9	92	31.03.08	19270	एस0 मलहोत्रा
10	1	02.04.08	16225	रितेश
11	42	24.05.08	27112	रितेश
12	67	30.07.08	12770	रविन्द्र
13	71	30.07.08	101136	रितेश
14	72	30.07.08	50000	दिग्विज
15	61	18.10.08	15475	रितेश
16	65	18.10.08	6283	एस0 मलहोत्रा
17	96	24.10.08	44568	रितेश
18	35	07.11.08	63456	रितेश
19	52	25.11.08	103250	एस0 मलहोत्रा
20	61	27.11.08	23035	रविन्द्र इलैक्ट्रीकल
21	14	02.02.09	48583	रितेश
22	21	06.02.09	71086	रविन्द्र इलैक्ट्रीकल
23	26(ए)	06.02.09	17926	रविन्द्र इलैक्ट्रीकल
24	26(बी)	06.02.09	22335	रविन्द्र इलैक्ट्रीकल

dqy ₹11]23]115@&

¼2½ <u>fctyh ds lkeku dh [kjhn esa cktkj ewY; ls ₹25896@& dk vf/kd Hkqxrku</u> ¼&

बिजली के सामान की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच से पता चला कि अभियन्ता शाखा व स्टोर कीपर द्वारा की गई सामान की खरीद में दरों में काफी अन्तर है जिससे परिषद को अनावष्यक हानि हुई है।

¼i½ <u>okÅpj l[;k 56] ekg 6@07] ₹85860@&</u>

	okÅpj l[;k 56 ekg 6@07 ¼,l0 eYgk=k½		okÅpj l[;k 71 ekg 7@08 ¼fjrs'k bySDVªhd½		
Ø0 l0	vkbVe	[kjhn nj	[kjhn nj	vUrj	vf/kd Hkqxrku
1	300 टयूब राड	@ 42/-	@ 36/-	300x6	₹1800 / –
2	500 स्टॅार्टर	@ 8.50	@5/-	500x3.50	₹504 / –
3	100 चोक 40 वाट	@110/-	@82/-	100x28	₹2800 / –
4	100 टयूब होल्डर	@6/-	@4/-	100x2	₹200 / –
5	10 एम0वी0एल चोक 125 वाट	@590/-	@466/-	10x124	₹1240 / –
6	10 एम0वी0एल लैम्प 125 वाट	@ 145/-	@135/-	10x10	₹100 / –
7	200 बल्ब 100 वाट	@10/-	@8/-	200x2	₹400 / –
8	700 मीटर पी0वी0सी0 वायर 4 एम0एम0	@7.10	@5.50	700x1.6	₹702 / –
9	15 एस0वी0एल लैम्प 250 वाट	@500/-	@425/-	15x75	₹1125 / –
10	10 एस0वी0एल0 चोक 250 वाट	@1307/-	@970/-	10x337	₹3370 / –
11	25 एस0एल0वी0 इग्नेटर	@150/-	@110/-	25x40	₹1000 / –
12	10 एस0एल0वी0	@475/-	@420/-	10x55	₹550 / –

	लैम्प				
13	10 चोक 150 वाट	@822/-	@640/-	10x182	₹1820/–
				Total	₹15]611@&

अंकेक्षण अवधि में ज्यादाकर टैण्डरों कुटेषनों में सामान खरीद हेतू फिलिप्स, बजाज व सिल्वेनिया इत्यादि कम्पनियों का सामान बराबर मानकर सप्लाई ली जाती है अर्थात फिलिप्स व बजाज मेक का सामान की दरें भी बराबर है।

उपरोक्त फर्म मैं0 रितेष ईलैक्ट्रीकल द्वारा न केवल सही दरों पर सप्लाई की है बल्कि उपरोक्त दरों में 4% छूट अतिरिक्त भी दी है।

¼ii½ okÅpj l[;k¼ 21]26]26¼c½ ekg 2@09 Øe'k% ₹71]088] ₹17]926] ₹12]335@&

उपरोक्त वाऊचरों द्वारा मैं0 रविन्द्र इलैक्ट्रीकल मण्डी से क्रमषः 700, 300 व 300 कुल 1300 मीटर 4एम0एम0 तार ₹11/– प्रति मीटर की दर से खरीद की जबकि वाऊचर संख्याः 35, माह 11/08, ₹63456/– द्वारा यही तार मैं0 रितेष ईलैक्ट्रीकल से ₹5.50 प्रति मीटर की दर से खरीद की। अतः उपरोक्त 1300 मीटर तार ₹5.50 प्रति मीटर कुल ₹7150/– अधिक भुगतान किया गया।

¼iii½ okÅpj l[;k¼ 51] ekg 6@07] ₹92]485@& ¼&

उपरोक्त वाऊचर द्वारा 1900एम0एम0 तार ₹7.15/– प्रति मीटर की दर से खरीद की गई। जबकि बिल संख्या 3566 दिनांक 11.01.08 (स्टाक रजिस्टर पृष्ठ 32) द्वारा यही तार ₹5.50/– प्रति मीटर की दर से खरीद की गई। इस खरीद में 1900 मीटर तार की खरीद में ₹1.65/– प्रति मीटर के हिसाब से कुल ₹3135/– का अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त (i), (ii), (iii) में क्रमषः ₹15611/–, ₹7150/– व ₹3,135/– कुल ₹25,896/– की हानि परिषद को हुई। इस हानि की जिम्मेवारी निर्धारित कर चुककर्त्ता से वसूली की जाए।

15 okÅpj l[;k¼ 94] ekg 3@08] ₹1]65]587@&

okÅpj l[;k¼ 95] ekg 3@08] ₹1]43]150@& ¼&

श्री राम चन्द्र दैनिक भोगी, मैषन व श्री शंकर दैनिक भोगी बेलदार द्वारा माननीय प्रषासनिक प्राधिकरण में दायर याचिका क्रमषः ओ0ए0–130/2007 व 131/2007 के फैसले

अनुसार इन्हें वर्क चार्ज मैषन व बेलदार नियुक्त कर क्रमषः ₹1,65,587/– व ₹1,43,150/– की बकाया राषि का भुगतान दिनांक 01.01.2004 से किया गया। नगर परिषद में वर्क चार्ज के पद रिक्त नहीं हैं और न ही इन नियुक्तियों की स्वीकृति निदेषक, शहरी विकास से ली गई। माननीय प्रषासनिक प्राधिकरण के फैसले को उच्च न्यायालय में याचिका दायर न करने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं है। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित पदों का सक्षम प्राधिकारी से सृजन कर नियमानुकूलन करवाएं।

16 <u>cdkj xkfM;k d mi;kx ckj</u> %&

जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा खरीदे 3 थ्री व्हीलर जो कुड़ा उठाने के उद्देष्य से लगभग ₹2/–लाख में खरीद किए थे अब बेकार हालत में पड़े हैं जिसका विवरण इस प्रकार से है :–

Ø0 l0	Fkh 0ghyj uEcj	[kjhn dk ekg	fdykehVj pyk	tcl s cdkj iMk
1	<u>एच0पी0 33</u> 4818	11/98	9,815	2/09
2	<u>एच0पी0 33</u> 5318	5/99	7784	7/08
3	<u>एच0पी0 33</u> 4288	4/98	41084	6/09

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि 2 थ्री व्हीलर मात्र 8 से 10 हज़ार किलोमीटर तक ही चल कर बेकार हो गये। इन गाडियों की मुरम्मत न करवा कर खरीद पर किया व्यय व्यर्थ है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

17 <u>lkfyM cLV i cU/k gr [kjhn e vfu;ferrk,</u> %&

शहर में कुड़ा कचरा को इक्टठा करने व उठाने हेतू भारी खरीद की गई। खरीद में की गई अनियमितताओं का विवरण इस प्रकार से है :–

¼i½ <u>Lojkt ekTknk ¼pSlh½ ¼₹5-78 yk[k½</u> %&

एक स्वराज माज़दा (चैसी) की खरीद दिनांक 05.12.07 को माप पुस्तिका संख्याः 58 पृष्ठ 20 द्वारा मैं0 स्वराज माज़दा चण्डीगढ़ से ₹5,78,129/– में की गई। इस खरीद को निदेषक, जनरल स्टोर एवं डिस्पोजल द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया जाना अपेक्षित था।

¼ii½ MLV fcu ¼₹10-24 yk[k½ %&

मैं0 समृद्धि इन्डस्ट्री, उधमसिंह नगर उत्तरांचल से 12500 डस्ट बिन ₹64/–प्रति कुल ₹10.24 लाख में दिनांक 09.02.08 को माप पुस्तिका संख्याः 58, पृष्ठ 25 व 26 में खरीद किए गए। इस खरीद हेतु प्राक्कलन विस्तृत प्राक्कलन व तकनीकी स्वीकृति व स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई। ये डस्ट बिन शहर में सभी घरों को वितरण किए जाने थे केवल वार्डों की लिस्टों में गृह मालिकों के कुछ हस्ताक्षर लिए हैं। बिना स्टॉक प्रविष्टि के कितने डस्ट बिन बांट दिए व कितने स्टोर में बाकी हैं का पता लगाना मुष्किल है। सम्पूर्ण अभिलेख की अनुपस्थिति से दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस सन्दर्भ में अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

¼iii½ QSohds'ku ,y0,e0oh0 dEiSDVj ¼₹4-19 yk[k½ %&

स्वराज माज़दा (चैसी) को फैब्रीकेषन कर मैं0 टैकनीक फैव्रीकेषन, कुराली से दिनांक 01.02.08 को माप पुस्तिका संख्या 65, पृष्ठ 98 द्वारा ₹3,73,000 + 12½% वैट ₹46,625/– कुल ₹4,19,625/– में कम्पैक्टर फैव्रीकेट कराया गया। इस कार्य हेतू कोई भी प्राक्कलन विस्तृत प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया और न ही सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई। वैट के रूप में फर्म को ₹46,625/– की अदायगी हेतू आवकारी एंव कराधान विभाग का फार्म संख्याः 26 भी प्राप्त नहीं किया गया। जिससे पुष्टि हो सके कि वैट की राषि सरकारी खजाने में जमा हो गई है या नहीं।

¼iv½ VªSDVj dks ,DlkoSVj@ykSMj yxkuk ¼₹7-44 yk[k½ %&

हिमाचल प्रदेष एग्रो विभाग से एक ट्रैक्टर दिनांक 09.04.08 को माप पुस्तिका संख्याः 58 पृष्ठ 30 द्वारा ₹6.15 लाख का खरीद किया। इस ट्रैक्टर को मैं0 टैकनीक फैव्रिकेषन कुराली से एक्सावेटर/लोडर लगाया गया व फर्म को ₹6.62 लाख + 12½% वैट ₹82,750/– कुल ₹7,44,750/– का भुगतान किया गया। यह एक नई तरह की मषीन बिना किसी तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन व विस्तृत प्राक्कलन द्वारा तैयार की गई। मोटर वहीकल नियमों के अनुसार किसी गाड़ी/ट्रैक्टर में अटैचमैन्ट मान्य नहीं है। इस नई मषीन का पंजीकरण भी मात्र ट्रैक्टर के रूप में हुई है। फर्म को अदा किए गए वैट ₹82,750/– हेतू फार्म 26 भी प्राप्त नहीं किया गया जिससे पुष्टि हो सके कि वैट की राषि सरकारी खजाने में फर्म द्वारा जमा करवा दी गई है अथवा नहीं।

इसी प्रकार एक थ्री व्हीलर में उपरोक्त फर्म से टिपिंग अरेन्जमैण्ट माह 3/10 में माप पुस्तिका 20 पृष्ठ 86 द्वारा ₹76,219/– में उपरोक्त दर्षित औपचारिकताओं के बिना फैब्रिकेट कराया गया।

¼v½ fj¶;t dyDVj ¼₹5-02 yk[k o ₹5-31 yk[k½ %&

मैं0 टैक्नीक फैब्रीकेषन, कुराली से दिनांक 02.02.08 को 25 रिफ्यूज कुलैक्टर (0.60 cum) ₹17,850/– प्रति + 12½% वैट कुल ₹5,02,031/– में माप पुस्तिका संख्याः 65, पृष्ठ 99 तथा दिनांक 19.12.09 को पुनः 25 रिफ्यूज कुलैक्टर (0.60 cum) ₹18,900/– प्रति + 12½% वैट कुल ₹5,31,563/–में माप पुस्तिका संख्याः 75, पृष्ठ 85 में खरीद किए गए। यह खरीद बिना किसी प्राक्कलन विस्तृत प्राक्कलन के की गई और न ही इस खरीद हेतू तकनीकी स्वीकृति ही प्राप्त की गई। इस खरीद को टुल्स एवं प्लांट या किसी अन्य रजिस्टर में प्रविष्ट ही नहीं किया गया। उपरोक्त भुगतान में फर्म को क्रमषः ₹55,781/– व ₹59,063/– वैट के रूप में अदा किए सम्मिलित हैं जिसके लिए फार्म 26 प्राप्त ही नहीं किया गया जिससे पुष्टि हो सके कि फर्म द्वारा यह राषि सरकारी खजाने में जमा करवा दी गई हैं या नहीं।

¼vi½ vU; [kjhn ¼₹4-67 yk[k½ %& अन्य खरीदों का विवरण इस प्रकार से है :–

Ø0 l0	[kjhn lkeku	fnukad	ftlls [kjhn dh	eki iqfLrdk	0;; jkf'k ¼₹½
1	हैण्ड कार्ट व टूल्ज इत्यादि	29.11.07	हि0प्र0 एग्रो	58/22	97,538/–
2	हैण्ड कार्ट व टूल्ज इत्यादि	28.11.07	हि0प्र0 एग्रो	58/21	57,818/–
3	व्हील वैरो इत्यादि	13.12.07	हि0प्र0 एग्रो	58/23	45,000/–
4	व्हील वैरो 2.23 cft (40 NO)	06.01.10	म्यूर अंवाला	75/88	1,59,600/–
5	हैण्ड कार्ट 17 no 0.30 cum	06.01.10	म्यूर अंवाला	75/89	1,07,100/–
				dqy	4]67]056@&

उपरोक्त सामान को टुल्स एवं प्लांट रजिस्टर में इन्द्राज ही नहीं किया गया न ही गत टुल्स एवं प्लाट रजिस्टर प्रस्तुत किया गया। हैण्ड कार्ट एवं व्हील वैरो की खरीद हेतू प्राक्कलन विस्तृत प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया व न ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई। अतः उपरोक्त

प्रकरण में औपचारिकता के बिना खरीद तथा इनका अपेक्षित पंजिका में इन्द्राज न करने बारे अंकेक्षण को औचित्य स्पष्ट किया जाए।

18 (1) कार्य का नाम — C/o R.wall, Channelization of Nallah road at Dumping site mandi

अनुबन्ध संख्या	4880–85, दिनांक 15.07.08
प्रषासनिक सहमति	₹11 लाख
ठेकेदार का नाम	हेम राज

उपरोक्त कार्य मात्र छः मदों का प्राक्कलन ₹11.29 लाख का तैयार कर कार्यकारी अभियन्ता हिमाचल प्रदेष लो0नि0वि0 सुन्दरनगर से तकनीकी स्वीकृति लेकर करवाया गया कार्यकारी अभियन्ता शहरी विकास से कार्य तकनीकी स्वीकृति न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं हैं टैण्डर में 2 अतिरिक्त मदें जो स्टील चेन फैसिंग की ₹4/–लाख की अतिरिकत डालकर नेगोषियेषन के बाद यह कार्य मात्र ₹7/–लाख तक का जारी (Award) किया गया लेकिन स्टील कार्य का निष्पादन न करवा कर यह कार्य ठेकेदार की दरों के हिसाब से मात्र ₹4 लाख तक ही रह गया। कार्य की जाँच से पता चला कि माप पुस्तिका 79, पृष्ठ 19 को तृतीय चलत बिल का भुगतान वाऊचर संख्याः 52, माह 2/09 ₹1,87,168/– का ठेकेदार को किया गया तथा इस तृतीय बिल का कुल निष्पादित कार्य ₹5,16,379/–का किया गया।

(i) माप पुस्तिका 79, पृष्ठ 33 द्वारा पुनः तृतीय बिल दर्षाकर वाऊचर संख्याः 82, दिनांक 07. 07.09 को ₹3,49,602/–का भुगतान ठेकेदार को इस बिल तक कुल निष्पादित कार्य ₹6,78,813/– किया गयां यदि यह चतुर्थ बिल होता तो इस बिल से उपरोक्त माप पुस्तिका संख्याः 79, पृष्ठ 19 द्वारा निष्पादित ₹5,16,379/– घटाकर भुगतान होना था लेकिन इस बिल से द्वितीय बिल की निष्पादित ₹3,29,211/– की राषि घटा कर बिल बनाया गया। अतः माप पुस्तिका संख्याः 79, पृष्ठ 19 द्वारा भुगतान ₹1,87,168/–दो बार किया गया प्रतीत होता है।

(ii) इन बिलों में कभी भी सीमेन्ट जारी व उपभोग विवरणीयां तैयार ही नहीं की गई हैं। पांचवें चलत बिल रिकॉर्ड प्रविष्टि माह 5/10 का भुगतान माप पुस्तिका संख्याः 76, पृष्ठ 89 द्वारा दिनांक 23.09.10 को किया गया तथा कुल निष्पादित कार्य ₹10,04,273/– + ₹1,87,168/– (दोहरा भुगतान) = ₹11,91,441/–का किया जा चुका है और यह कार्य बन्द कर दिया बताया गया लेकिन अन्तिम बिल नहीं बनाया गया। अतः उपरोक्त दर्षित मात्र ₹4/–लाख के कार्य के स्थान

पर ₹11.91 लाख व्यय किया जा चुका है। ठेकेदार को 5वें बिल तक 1250 बैग सीमेन्ट जारी किए गए लेकिन उपभोग मात्र 950 बैग तक ही लगता है जो इस प्रकार से है :–

Ekn	lf{kIr fooj.k	fu"iknu cum	miHkkx nj ifr cum	Ykxr lheUV ¼cx½
2	1:6:12	28.34	2.20 बैग	62.35
4	आर0आर0एम	517.01	1.65 बैग	853.06
6	1:2:4	8.70	6.40 बैग	55.68
			dqy	971-09
			;k	950 cx

पांचवें बिल तक अन्तिम बार जारी सीमेन्ट की वसूली तो कर ली है लेकिन शेष 1250 बैग (–) 950 बैग = 300 बैग सीमेन्ट का दुर्विनियोजन किया जाना प्रतीत होता है।

¼2½ okÅpj l[;k 41] ekg 3@08] ₹27]328@& vuqcU/k l[;k 1788&93] fnukd 27-04-06] कार्य का नाम पार्किंग नजदीक षिव वाऊली मण्डी

माप पुस्तिका संख्याः 68 पृष्ठ 49 (तृतीय एंव अन्तिम बिल)

ठेकेदार का नाम एच0एस0 पठानिया

उपरोक्त कार्य दिनांक 25.02.08 को समाप्त हो गया लेकिन ठेकेदार को कार्य समाप्ति के बाद मांग पत्र संख्याः 375 द्वारा दिनांक 27.02.08 को 15 बैग सीमेन्ट जारी किया गया। कार्य समाप्ति के बाद जारी सीमेन्ट सम्भवतः दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य हेतू निम्न अतिरिक्त मदें निष्पादित की गई।

en l[;k	fooj.k	ek=k	nj ¼₹½	Hkqxrku ¼₹½
5	C.C 1:5:10	26.22 cum	1193.35	31,289/–
6	Form work	52-89 sqm	95.25	5035/–

इन अतिरिकत मदों का भुगतान बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किया गया। इन मदों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किया गया। इन मदें को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जाए तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त ठेकेदार के पक्ष में दिनांक 27.02.08 को 15 सीमेन्ट बैग जारी करने बारे ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसकी ठेकेदार या चूककर्त्ता कर्मचारी से वसूली सुनिष्चित की जाए।

¼3½ कार्य का नाम चैनलाईजेषन ऑफ नाला (वार्ड संख्याः 12)

अनुबन्ध संख्या 3146—51, दिनांक 08.05.08

ठेकेदार का नाम राजीव कुमार

मप पुस्तिका संख्या 75, पृष्ठ 11

एस0ए0एस0 रजिस्टर की जाँच से पता चला कि पृष्ठ संख्याः 17 से उपरोक्त कार्य हेतू माप पुस्तिका 75, पृष्ठ 2 को 85 आर0एम0टी0—आर0सी0सी0 चैनल हस्तांतरित हुए। ठेकेदार द्वारा प्रथम व अन्तिम बिल तक मद संख्याः 3 में मात्र 76.25 आर0एम0टी0, आर0सी0सी0 चैनल 600 एम0एम0 का उपभोग किया शेष चैनलों का ₹900/—प्रति आर0एम0टी0 की दर से परिषद को ₹10,575/— की हानि हुई। जिसकी वसूली सम्बन्धित से सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

¼4½ okÅpj l[;k% 57] ekg 3@08] ₹89]905@& vuqcU/k l[;k% 835&40] fnukad 20-02-08

dk;Z dk uke ikVZD'ku cky fu;j flfoy lykbZ LVksj] e.Mh

Bsdsnkj dk uke foØkUr

Ekki iqfLrdk l[;k 70] i"B 37

उपरोक्त कार्य हेतु ठेकेदार को 20.02.08 को 35 बैग सीमेन्ट जारी किए गए। इस कार्य हेतू मात्र 25 बैग सीमेन्ट उपभोग हुए व शेष 10 बोरी स्टोर को वापिस किए गए दर्षाये गए। शेष 10 बैग सीमेन्ट स्टोर को माह 3/08 में वापिस न कर यह सीमेन्ट एम0ए0स0 पृष्ठ 34 में दर्ज किया गया। एम0ए0एस0 रजिस्टर में दिनांक कभी दर्षाई ही नहीं गई। एम0ए0एस0 से यह सीमेन्ट माप पुस्तिका संख्याः 66 पृष्ठ 87 में उपभोग किया गया दर्षाया गया। यह विभागिया कार्य विभागीय स्थाई लेवर द्वारा दिनांक 01.12.07 से 31.12.07 को किया गया था जिसकी माप पुस्तिका में प्रविष्टि 07.01.08 को की गई।

अतः जो 35 बैग सीमेन्ट ठेकेदार को 20.02.08 को जारी किया गया और शेष 10 बैग सीमेन्ट माह 3/08 में वापिस एम0ए0एस0 में आया वह सीमेन्ट माह 12/07 में कैसे खपत हो सकता है, जो स्वतः ही संदिग्धता परिलक्षित करता है। अतः इस प्रकरण में वास्तविकता की जाँच करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

¼5½ okÅpj l[;k 42] ekg 3@10

dk;l dk uke	**Repair & Maintenance of Path/road ward no. 9.**
dk;l vkcaVu i= la0	2384&89] fnukad 16-07-07
eki iqfLrdk la0	78] i"B 60 ls 66-

(1) इस कार्य में मद संख्या 7 जो प्रोवाईडिंग एण्ड लेईन्ग सीमेन्ट कंकरीट 1:5:10 की थी व जिसकी कुल मात्रा 6.25 cu.mt. थी जबकि वास्तव में इस मद की मात्रा 6.25 cu.mt. से बढ़ा कर 52.07 cu.mt. कर दी गई जबकि Revised entimate इस कार्य के लिए नहीं बनाया गया। अतः इस प्रकरण में औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(2) कार्य समाप्त करने की अवधि 3 माह थी जो 10/07 को समाप्त हो गई जबकि कार्य को 27.02.09 को पूर्ण किया गया। आबंटन पत्र संख्या की क्रम संख्या 21 के अनुसार यदि कार्य समय पर पूर्ण नहीं होता तो 10% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। परन्तु इस कार्य में कोई भी जुर्माना नहीं लगाया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाए।

(3) सीमेन्ट उपयोग विवरणी नहीं बनाई गई जबकि ठेकेदार को 187 बैग सीमेन्ट के जारी किए गए हैं। जिस बारे अब अभिलेख सहित स्थिति स्पष्ट की जाए।

19 ¼d½ fofo/k

jkdM+ cgh esa ikIr vk; ls de jkf'k dk tek djus ds lUnHkZ esa ¼&

नगर परिषद मण्डी की आय की विस्तृत जाँच हेतू चयनित माहों में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय की जाँच में पाया गया कि कुछ मामलों में रसीदों द्वारा प्राप्त कुल आय से कम राषि रोकड़ बही में जमा की गई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अतः जितनी राषि रोकड़ बही में कम जमा की गई है उस राषि को वसूल करके रेाकड़ बही में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न हो, उसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं व आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृड़ किया जाए।

(1) माह 5/08 में रसीद संख्या 5638, ₹5642.57 के तहत ₹25,708/– प्राप्त किए गए जब की रोकड़ बही पृष्ठ 11, दिनांक 09.05.08 को ₹25,608/– जमा किए गए जो की ₹100/–कम हैं।

(2) तहबाजारी से प्राप्त कुल आय में से ₹75/–रोकड़ बही में कम जमा किए गए हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øe l[;k	fVdV l[;k	dqy ikIr jkf'k	jksdM cgh esa tek jkf'k	de tek dh xbZ jkf'k vUrj ¼₹½
1	385 से 400/60 व 1 से 93/61	1510	1490	20/–
2	313 से 400/61 व 1 से 14/62	1445	1425	20/–
3	235 से 323/82	1185	1180	05/–
4	202 से 339/86	1260	1250	10/–
5	305 से 400/190	1255	1245	10/–
6	273 से 381/191	1480	1470	10/–
			dqy ;ksx	₹75@&

अतः उपरोक्त राषि की चूककर्त्ता से वूसली करके नगर परिषद निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

¼[k½ ikIr vk; dks nsj ls jksdM cgh esa bUnkt djus ds lUnHkZ esa %&

एच0पी0एफ0आर0–खण्ड–1 के नियम 22(ii) की अनुपालना में प्रत्येक वित्तीय लेन देन जैसे ही घटित हो उसी दिन रोकड़ बही में इन्द्राज करने के उपरान्त जाँच के प्रतीक स्वरूप विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित करवाए जाने चाहिए। नगर परिषद मण्डी में चयनित माहों के प्राप्त आय की जाँच रोकड़ बही से करने पर पाया गया कि कई बार विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय को काफी दिनों के बाद रोकड़ बही में इन्द्राज किया जाता है जबकि नियमानुसार यह रषि एक या दो दिनों में रोकड़ बही में इन्द्राज करके बैंक में जमा हो जानी चाहिए। रसीद बुकों (जी–8) की जाँच व रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार निम्न वर्णित आय की राषियों को बहुत दिनों के बाद रोकड बही में दर्ज किया गया है। अतः देर से जमा राषियों के कारणों की जाँच करके व चूककर्त्ता के विरूद्ध दण्ड ब्याज निर्धारित एवम् वसूल करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पर अंकुश लगाना सुनिष्चित किया जाए।

Sr.No.	Receipt No. (G-8)	Date of receipt	Amount	Date of Deposit in cash book.
1	5750/58 to 5760/58	23-04-07	19010/-	09-05-07
2	21348/214 to 21355/214	08-06-09	400/-	31-03-10

3	21356/214 to 21385/214	09-06-09	2400/-	31-03-10
4	21386/214 to 21400/214	10-06-09	1750/-	31-03-10
5	26076/261 to 26100/261	22-01-10	1300/-	30-03-10

¼x½ rg cktkjh Qhl dh olyh u djus ds ckjs esa ¼&

नगर परिषद के द्वारा प्रत्येक दिन नगर परिषद के अन्दर प्रत्येक दिन तह बाजारी के तहत नियमित रूप से फीस की वसूली की जा रही हैं चयनित माहों में तहबाजारी फीस की टिकटों की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा 08.04.07, 15.04.07, 22.04.07, 29.04.07 व 28.02.10 को तहबजारी से कोई भी आय प्राप्त नहीं की गई है व न ही तहबजारी काटने के कोई कारण/दस्तावेज जाँच हेतू प्रस्तुत किए गए। अतः उपरोक्त दिनों में तहबजारी न प्राप्त करने के कारणों की जाँच करके, इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼?k½ okÅpj la[;k 46] ekg 3@10 ¼&

माह 3/10 के वाऊचर संख्या 46 की जाँच में पाया गया कि श्री पी0सी0 शर्मा, कार्यकारी अधिकारी को यात्रा भत्ता के रूप में ₹50/–का अधिक भुगतान किया गया है। दिनांक 08.01.10 को कुल्लू की यात्रा पर उन्हें पूर्ण दैनिक भत्ता (D.A) दिया गया है जबकि उन्हें 70% देय था। इसी प्रकार 16.02.10 को षिमला यात्रा के लिए भी पूर्ण दैनिक भत्ता दिया गया है जबकि यहां भी 70% देय था। अतः अधिक भुगतान की राषि की वसूली करके नगर परिषद के फण्ड में जमा की जाए।

¼II½ इसी वाऊचर संख्या 46, में श्री मान सिंह को 08.01.10 के यात्रा भत्ता के रूप में ₹18/– का अधिक भुगतान किया गया है। 08.01.10 को श्री मान सिंह को दैनिक भत्ता (D.A) 70% देय था। जबकि उन्हें पूर्ण दैनिक भत्ता दिया गया है।

¼III½ श्री सुरेष कुमार को 16.02.10 को मण्डी से षिमला यात्रा करने पर दैनिक भत्ता 70% के स्थान पर पूर्ण दैनिक भत्ता दिया गया है जो कि ₹22/– अधिक है। अतः अधिक भुगतान को उचित माध्यम से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

¼.k½ iqjkuh cSVjh ds fuiVkjs ckjs ¼&

माह 3/10 के वाऊचर संख्या 78 के अनुसार ट्रैक्टर नम्बर एच0पी0एम0–1246, के लिए बिल संख्या 081073, दिनांक 22.12.09 को एक Sonic Battery (Exide) ₹5170/– में खरीदी गई है। परन्तु उसके बदले में पुरानी बैटरी किस स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई या पुरानी बैटरी का क्या उपयोग किया गया से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज जाँच हेतू प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः

पुरानी बैटरी की वसूली करके स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए या उसके बाजारी मुल्य की वसूली करके, अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

¼p½ **vfHkys[k dk izLrqrhdj.k ,oe~ Hkqxrku izkfIr jlhn izLrqr u djuk** ¼&

माह 3/10 के वाऊचर संख्या 79 के अनुसार मैं0 जगजीवन इन्डस्ट्री मण्डी से 2 गार्डन बैंच ₹8700/– + 12.5% वैट के हिसाब से खरीद कर चैक संख्या 093046, दिनांक 30.03.10 को ₹19,575/–का भुगतान किया गया है। परन्तु इस खरीद से सम्बन्धित अभिलेख/दस्तावेज जाँच हेतू प्रस्तुत नहीं किए गए व न ही इस भुगतान की रसीद प्राप्त की गई है। अतः खरीद से सम्बन्धित दस्तावेज भुगतान प्राप्ति की रसीद सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

¼N½ **Bsdsnkj ls ₹100@&dh dVkSrh u djuk** ¼&

माह 3/10 वाऊचर संख्याः 54, के अनुसार वार्ड नम्बर 12, युनिट–1 में सफाई करने के लिए ठेकेदार श्री बंटी को ₹7,808/– का भुगतान किया गया जबकि जाब कार्ड (Job Card) के अनुसार ठेकेदार से ₹100/–की कटौती की जानी थी जो नहीं की गई। अतः कटौती की राषि को उचित माध्यम से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

¼t½ **fpfdRlk izfriwfrZ esa ljdkjh fu;eksa dh vogsyuk** ¼&

नगर परिषद मण्डी द्वारा अपने कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी करते समय हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा निजी हस्पतालों (Hospitals) से उपचार करवाने के पश्चात परामर्ष फीस, लैब टैस्ट इत्यादि का भुगतान पूर्ण रूप से किया जा रहा है जबकि लैब टैस्टों के बिलों का भुगतान सरकारी हस्पतालों द्वारा निर्धारित दरों से प्रतिबंधित/सीमित किया जाना चाहिए था। नगर परिषद द्वारा Health & family welfare Deptt के पत्र संख्या HPW-B(F)1-1/2008, दिनांक 21.06.08 में निर्धारित नियमों का पालन सुनिष्चित किया जाना चाहिए।

वाऊचर संख्या 40, माह 3/10 की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न कर्मचारियों को मैडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति पूर्ण रूप से कर दी गई है, जबकि निजी संस्थानों से किए गए विभिन्न लैब टैस्टों की दरें प्रदेष सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई दरों के दृष्टिगत सीमित की जानी आपेक्षित थी। अतः निम्न प्रकरणों में प्रदेष सरकार द्वारा निर्धारित दरों के दृष्टिगत अधिक भुगतान की गई राषि को सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

¼1½ **Voucher No. 40(ka) of 3/10, Sub Vr. No. 22,25 & 26, Sh. Bhupender Pal (Peon)** :-

Sr.No.	Test	Rate Charged	Rate Admissible	The Amout paid in Excess
1	H.B.	25	15/-	10/-
2	Blood sugar	40	25/-	15/-
3	Cholestroal	85	25/-	60/-
4	T_3, T_4, T_{sh}	500	400/-	100/-
5	X-ray Chest	120	50/-	70/-
6	ECG.	100	50/-	50/-
7	X-ray	100	50/-	50/-
8	Consultation fee	100	Not admissible	100/-
9	X-ray	120	50/-	70/-

¼2½ **Vr.No. 40(I) of 3/10, Sub. Vr. No. 32, Smt. Sunita Sharma :-**

1	Urine R/E			
2	U.S.G.	755	285/-	470/-
3	Genitourinary			

¼3½ **Vr.No. 40(II) of 3/10, Sub. Vr. No. 16, Sh. Naveen Kumar :-**

1	LFT,RFT	250	LFT-140/- RFT-105/-	5/-
2	Filod Test	700	100/-	600/-

¼4½ **Vr.No. 40(II) of 3/10, Sub. Vr. No. 32, Sh. Bhagat Ram :-**

1	USG (W/A)	600	200/-	400/-

¼5½ **Vr.No. 40(III) of 3/10, Sub. Vr. No. 2, Sh. Jai Singh :-**

1	USG	500	200/-	300/-
2	Consultation fee	100	Not admissible	100/-

¼6½ **Vr.No. 40(III) of 3/10, Sub. Vr. No. 5, Sh. Prem Chand :-**

1	Consultation fee	100	Not admissible	100/-
2	Test procedure	1400	The amount reimbursed may be justified with supporting rules failing which recovery be made & compliance reported to audit.	

¼7½ **Vr.No. 40(III) of 3/10, Sub. Vr. No. 16, Sh. Jeevan lal :-**

1	USG	500	200/-	300/-

2	ECG	100	50/-	50/-
3	Liquid Profile	520	200/-	320/-
4	Consultatin fee	100	Not admissible	100/-

¼8½ **<u>Vr.No. 40(IV) of 3/10, Sub. Vr. No. 15, Sh. Asha Ram</u> :-**

1	OPD Consultation fee	90	Not admissible	90/-
2	Room Charges	575	Room charges may be justified with basic pay of te employee concerned during next audit.	
3	Consultation fee	390	Not admissible	390/-
4	Special Procedure	3500	The amount reimbursed may be justified with supporting rules/ admissibility failing which recovery be made and compliance reported to next audit.	

¼>½¼i½ संस्था द्वारा निम्नलिखित आवष्यक अभिलेखों का रख–रखाव सन्तोषजनक नहीं था। इन अभिलेखों का शीघ्र उचित रख–रखाव किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय सूचित किया जाए, प्रतिपूर्ति दावा भुगतान रजिस्टर, वर्गीकृत सार रजिस्टर, टुल्ज एवं प्लाट रजिस्टर, टी0ए0 चैक रजिस्टर, चल अचल सम्पति रजिस्टर, कम्पोजिषन ऑफ औफेंसिव रजिस्टर, ठेकेदार बही खाता व प्रतिभूति रजिस्टर।

¼ii½ परिषद में पड़े सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन भी सुनिष्चित किया जाए व परिणाम से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

20 <u>y/k| vkifÙk foojf.kdk</u> ¼& यह अलग से जारी नहीं की गई।

21 <u>fu"d"k|</u> ¼& लेखों में उचित सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– ULB-H(C)(15)-42/86-Vol-VI दिनांक, षिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद मण्डी, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेष) को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिषीघ्र भेंजें।
2. निदेषक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष षिमला–171002.
3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kk:½